

राजस्थान-सरकार
शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1/2008

जयपुर, दिनांक:- 17/6/15

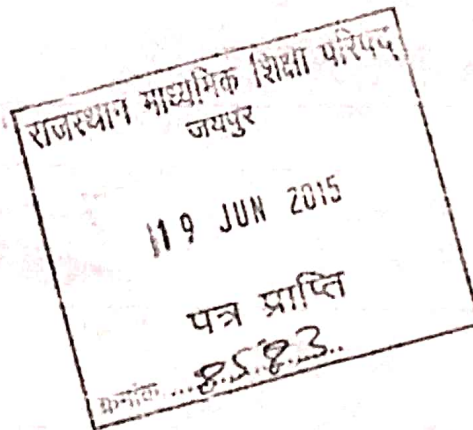
अतिरिक्त आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की अधिसूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है 05 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अधिसूचना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Pl. put up
on file
R
22.6.2015
AD



भवदीय
(नसीरुद्दीन कुरैशी)
शासन उप सचिव-प्रथम

Principal
Swami Vivekanand Govt. Model School
Balesar (Jodhpur)



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 19, गुरुवार, शाके 1937-अप्रैल 9, 2015
Chaitra 19, Thursday, Saka 1937- April 9, 2015

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 9, 2015

संख्या प.4(15)शिक्षा-1/2008 पार्ट :- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत राज्य में संचालित 05 मॉडल स्कूलों को नीचे दिये गये बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समरूप मान्यता प्रदान की जाती है :-

- इन मॉडल स्कूलों को राज्य में संचालित उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों के समरूप मान्यता प्रदान की जाती है।
- शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश समान रूप से इन विद्यालयों पर भी लागू होंगे।
- शिक्षा विभाग के अधिकारी इन विद्यालयों को राजकीय विद्यालयों का रूप में सहयोग करेंगे।
- इन विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालयों में आवश्यक कार्मिकों को प्रतिनियुक्त किया जावेगा।
- इन विद्यालयों में सहशिक्षा का प्रावधान होगा।
- इन विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलवाई जावेगी।
- इन विद्यालयों का संचालन सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के कलैण्डर के अनुसार कराया जावेगा।
- "मॉडल स्कूल" का नाम "स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल" होगा।
- वर्ष 2015-16 में मॉडल स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम
1	जोधपुर	बालेसर
2	करीली	सपोटरा
3	झालावाड़	बकानी
4	बाडमेर	बालोतरा
5	जैसलमेर	जैसलमेर

नसीरुद्दीन कुरेशी,
शासन उप सचिव।